उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग–1

संख्या–3184/37–1–15–2(51)/2014

लखनऊः दिनॉक 06 अगस्त, 2015

आदेश

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा पशु चिकित्साधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को चरित्र सत्यापन एवं मण्डलीय चिकित्सा परिषद की स्वस्थता परीक्षा में स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित 09 अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा सेवा श्रेणी–2 के अन्तर्गत वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100, ग्रेड वेतन रू0 5400 में पशु चिकित्साधिकारी के पद पर निम्न शर्तो के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त करने तथा संलग्न सूची के स्तम्भ–4 में उल्लिखित जनपदों के रिक्त पशु चिकित्सालयों पर तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– उक्त अभ्यर्थी पशु चिकित्साधिकारी के पद पर योगदान की तिथि से 2 वर्ष की परिवीक्षा पर रहेगे।

2– इन अभ्यर्थियों की सेवा शर्ते शासन द्वारा समय–समय पर राज्य कर्मचारियों हेतु निर्गत की गई संगत नियमावलियों एवं शासनादेशों के अधीन होगी।

3– उक्त अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते, जो भी हों, देय होगें।

4– उ0प्र0 अस्थायी/स्थानापन्न सेवायें अस्थायी सरकारी सेवा (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975 के अन्तर्गत किसी समय सरकारी सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवक को दी गयी नोटिस द्वारा समाप्त की जा सकेंगी।

5– सभी अभ्यर्थी अपनी योगदान आख्या अपनी तैनाती के जनपद के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

6– समस्त अभ्यर्थी **एक माह के अन्दर** अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

7– तैनाती के जनपद तक जाने/पहुँचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

8– उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण–पत्र/घोषणा–पत्र प्रस्तुत करने होगें:–

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्व से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण–पत्र।

(2) ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण–पत्र।
(3) गोपनीयता का प्रमाण–पत्र।
(4) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण–पत्र।
(5) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का शपथ–पत्र।

9– इन पशु चिकित्साधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

रमा शंकर,
विशेष सचिव।

संख्या– 3184(1)/37–1–2015, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) उप सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या–94/02/एस–2/डी/2012–13, दिनॉक 13 अक्टूबर, 2014 के संदर्भ में सूचनार्थ।
(3) निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
(4) निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(5) संबंधित अपर निदेशक, ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
(6) संबंधित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि वे कृपया नियुक्त अधिकारियों को प्रस्तर–8 में उल्लिखित प्रमाण–पत्र/घोषणा–पत्र के प्रारूप को उपलब्ध कराते हुए संबंधित अभ्यर्थी से वॉछित प्रमाण–पत्र/घोषणा–पत्र (पूर्णरूप से भरवाकर) प्राप्त कर उन्हें तैनाती स्थल पर योगदान करायें और योगदान रिपोर्ट शासन को विलम्बतम एक सप्ताह के अन्दर अवश्य प्रेषित करें।
(7) संबंधित कोषाधिकारी।
(8) सम्बन्धित अधिकारी। **(रजिस्टर्ड डाक द्वारा)।**
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या–3184/37–1–15–2(51)/2014, दिनाँक 06 अगस्त, 2015 का संलग्नक।

क0 सं0	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम	जन्म–तिथि/ गृह जनपद	प्रस्तावित तैनाती
1	2	3	4
1	श्री अवधेश कुमार पुत्र श्री राम बिलास वर्मा	8–7–84 हरदोई	पशु चिकित्सालय शाहडब्बर, मुजफ्फरनगर
2	सुश्री अंजलि त्रिपाठी पुत्री श्री गिरीशमणि त्रिपाठी	5–7–89 देवरिया	पशु चिकित्सालय सोमहिया, गोरखपुर
3	सुश्री रूचि सिंह गौर पुत्री श्री रणवीर सिंह गौर	14–6–86 उन्नाव	पशु चिकित्सालय कुर्सीखेडा, कानपुर देहात
4	सुश्री सोनम दीक्षित पुत्री श्री राजेश कुमार दीक्षित	1–11–85 जालौन	पशु चिकित्सालय जलीलपुर, बिजनौर
5	सुश्री सरस्वती ओझा पुत्री ए0पी0 ओझा	30–7–89 बॉदा	पशु चिकित्सालय बरगढ, चित्रकूट
6	सुश्री सुमन पुत्री श्री राम किशन	1–1–79 फतेहपुर	पशु चिकित्सालय जगतपुर, प्रतापगढ
7	सुश्री ऋचा मिश्रा पुत्री श्री अखिलेश मिश्रा	15–5–87 कानपुर नगर	पशु चिकित्सालय खासपुरा, बिजनौर
8	श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र श्री चन्द्र पाल सिंह	10–6–1983 बुलन्दशहर	पशु चिकित्सालय जौला, मुजफ्फरनगर

(सुनील कुमार)
अनु सचिव।